उ0म0रेल

कार्यालय
मुख्य कारखाना प्रबंधक
वैगन मरम्मत कारखाना झाँसी।

पत्रांक– वी 14 वी/जन0/एक्ट अप्रै0/2016.17 दिनॉक –21 .01.2017

अधिसूचना –01/2016/झाँसी कारखाना एवं रेल स्प्रिंग कारखाना सिथौली

विषय– अप्रेन्टिस एक्ट 1961 के अन्तर्गत एक्ट प्रशिक्षुओं (ट्रेड अप्रेन्टिस) का वैगन मरम्मत कारखाना झाँसी एवं रेल स्प्रिंग कारखाना सिथौली में प्रशिक्षण हेतु चयन।

अप्रेन्टिस एक्ट, 1961 के अन्तर्गत निम्नलिखित ट्रेडों में अप्रैन्टिस प्रशिक्षण हेतु वैगन मरम्मत कारखाना झाँसी की कुल सीटें 388 एवं रेल स्प्रिंग कारखाना सिथौली की कुल सीटें 25 के लिये रेलवे बोर्ड के पत्र संख्या ई(एमपीपी)2009/6/14 दिनांक 06.10.2015 के निर्देशानुसार ऑन लाईन (Online) प्रकिया के माध्यम से अभ्यर्थियों की नामिका बनाने का प्रस्ताव है।

पात्र उम्मीदवार ऑन लाइन आवेदन दिनांक 15.02.2017 से दिनांक 17.03.2017 तक www.mponline.gov.in पर पंजीकरण एवं आवेदन करें।

सीटों का विवरणः–

वैगन मरम्मत कारखाना झाँसी

क्र. सं.	ट्रेड	* आरक्षित सीटो की संख्या					विकलांग सीटो का विवरण		
		सामान्य	अ.पि.व.	अ.जा.	अ.ज.जा.	योग	ओ.एच	एच.एच	प्रशिक्षण की अवधि
1	फिटर	98	53	29	15	195	03 (O/L,B L)	02	एक वर्ष
2	वैल्डर (गैस एंव इलैक्ट्रिक)	51	28	15	08	102	02(OL)	01	एक वर्ष
3	मैकेनिक मशीन टूल मेन्टीनेन्स	10	05	03	01	19	NIL	NIL	एक वर्ष
4	मशीनिष्ट	09	04	03	01	17	NIL	NIL	एक वर्ष
5	पेन्टर	16	09	05	02	32	01 (O/L)	NIL	एक वर्ष
6	केन ऑपरेटर	02	01	01	00	04	NIL	NIL	एस वर्ष
7	इलेक्ट्रीशियन	09	04	03	01	17	NIL	NIL	एक वर्ष
8	प्रोग्रामिंग एण्ड सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन असिस्टेंट	01	01	00	00	02	NIL	NIL	एक वर्ष
कुल योग		196	105	59	28	388	06	03	

रेल स्प्रिंग कारखाना सिथौली

क्र. सं.	ट्रेड	* आरक्षित सीटो की संख्या					विकलांग सीटो का विवरण		
		सामान्य	अ.पि.व.	अ.जा.	अ.ज.जा.	योग	ओ.एच	एच.एच	प्रशिक्षण की अवधि
1	एम.एम.टी.एम	13	06	04	02	25	NIL	NIL	एक वर्ष
	कुल योग	13	06	04	02	25	NIL	NIL	

* रेलवे बोर्ड के पत्रांक के अनुसार E(MPP) 2002/6/10 दिनॉक–17.06.11 के अनुसार अ.जा –15%, अ.ज.जा. 7-5% तथा अन्य पिछडा वर्ग 27% जिसमें 4.5% माइनौरिटी शामिल है आरक्षित किए गए है। अनुसूचित जाति वर्ग (SC) के अभ्यर्थियों के उपलब्ध न होने पर पदों को अनुसूचित जन जाति (ST) के अभ्यर्थियों के द्वारा भरा जायेगा। अनुसूचित जनजाति (ST) के अभ्यर्थियों के उपलब्ध न होने पर सीट अनुसूचित जाति (SC) के अभ्यर्थियों से भरी जायेगी। अनुसूचित जाति एवं अनूसूचित जनजाति के अभ्यर्थी उपलब्ध न होने पर रिक्त सीटो को ऐसे अभ्यर्थी से भरा जायेगा जो अ.जा/अ.ज.जा वर्ग से संबंधित नही है। अन्य पिछडा वर्ग के उम्मीदवार न होने पर सीटो को अनारक्षित वर्ग के उम्मीदवारो से भरा जायेगा।

** भूतपूर्व कर्मचारी उनके बच्चो तथा आर्म फोर्स के जवानों के बच्चों हेतु तथा के लिये 3 प्रतिशत पद आरक्षित रहेंगे (i) प्रभावित /अपंग भूतपूर्व कर्मचारियों के बच्चे जिसमें शांतिकाल के दौरान प्रभावित /अपंग भूतपूर्व कर्मचारियों के बच्चे भी शामिल है। (ii) भूतपूर्व कर्मचारियों के बच्चे (iii) सेवारत जवानों के बच्चे (iv) सेवारत अधिकारियों के बच्चे (v) भूतपूर्व कर्मचारी। प्राधिकार पत्रांक E(MPP) 2002/6/VI दिनॉक 31.07.06.

*** शारीरिक रुप से विकलांग उम्मीदवारो के लिए 3 प्रतिशत सीटे आरक्षित है जिसके लिए केवल लोकोमोटर अक्षम या सेरेवल पलसी एवं बहरे विकलांग जो केवल 40 प्रतिशत या उससे अधिक हो अथवा जिनके सुनने की क्षमता 60 डेसीबल या उससे अधिक हो ही आवेदन कर सकते है ऐसे उम्मीदवारो को केन्द्र अथवा राज्य सरकारों द्वारा गठित मेडीकल बोर्ड द्वारा जारी अक्षमता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

**** चयनित अभ्यर्थी को प्रशिक्षण से पूर्व RDAT की वेवसाईट WWW.apprenticesip.gov.in पर पंजीकरण कराकर पंजीकरण संख्या प्राप्त करना अनिवार्य होगा, अन्यथा अभ्यर्थी की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जायेगी।

2. प्रशिक्षण अवधि एवं प्रशिक्षण स्थल– रेलवे बोर्ड के पत्र दिनांक– 22-07-02 (आर.बी.ई.संख्या–119/2002) के अनुसार निर्धारित प्रशिक्षण अवधि रहेगी। प्रशिक्षण स्थल वैगन मरम्मत कारखाना, उ0म0रेल, झॉसी एवं रेल स्प्रिंग कारखाना, सिथौली होगा।

पात्रता

3 आयु सीमा–

अ. दिनॉक–01.01.2017 को उम्मीदवार को 15 वर्ष की आयु पूर्ण होनी चाहिये तथा 24 वर्ष की आयु पूर्ण नहीं होना चाहिए।

ब. अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को 05 वर्ष एवं अन्य पिछडा वर्ग के उम्मीदवारों को 03 वर्ष तक अधिकतम आयु सीमा में छूट दी गई है।

स. शारीरिक विकलांग उम्मीदवारों को अधिकतम आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट दी गई है।

4. शैक्षणिक योग्यता–

मान्यता प्राप्त संस्थान से दसवीं या समकक्ष (10+2 परीक्षा प्रणाली) में न्यूनतम 50% अंकों के साथ उत्तीर्ण होना तथा एनसीवीटी से सम्बद्ध संबंधित ट्रेड में आई.टी.आई पास प्रमाण–पत्र होना अनिवार्य है।एन.सी.वी.टी द्वारा जारी प्रमाण पत्र आवश्यक है प्राचार्य द्वारा जारी प्रमाण पत्र मान्य नही है।

5 वृत्तिका (Stipend)– रेलवे बोर्ड द्वारा समय–समय पर निर्धारित की गई दरों पर नियमानुसार।

6 फीस – (1) आवेदन शुल्क के रूप में रूपये 100/– का बैंक ड्राफट कारखाना लेखाधिकारी, उ.म.रेल झॉसी के पक्ष में झॉसी में देय आवेदन के साथ शुल्क के रूप में संलग्न कर साधारण/ पंजीकृत डाक /स्पीड पोस्ट से आवेदन पत्र के प्रिन्ट आउट के साथ भेजे अनु.जाति, अनु.जन.जाति, शारीरिक विकलांग एवं महिला उम्मीदवार को आवेदन शुल्क देय नही है साथ ही (2) पोर्टल शुल्क रूपये 70/– सभी आवेदकों को ऑन लाईन देना अनिवार्य होगा।

आवेदन का तरीका – इच्छुक उम्मीदवार www.mponline.gov.in की वेबसाइट पर पंजीकरण एवं आवेदन कर सकते है

आवश्यक निर्देश –(1) आनॅ लाइन आवेदन करने वाले पहले निम्मलिखित जानकारी एवं दस्तावेजों को अपने पास तैयार रखें। आवेदन करने से पूर्व उम्मीदवारों को उनके हित में सलाह दी जाती है कि केवल विज्ञापन के अनुसार ही पात्र उम्मीदवार आवेदन करे। वह विज्ञापन नोटिस को ध्यान से पढ लें। यदि उन्हें यह सन्तुष्टि है कि वे आवेदन की योग्यता की शर्ते पूरी करते तथा उनके पास आवेदन के समय सभी वॉछित दस्तावेज है तो ही वे www. mponline.gov.in की बेबसाइट पर पंजीकरण एवं आवेदन करें। उम्मीदवार को अपना विवरण एक बार में ही भरना है वह इसे पूर्ण रूप से भरने के उपरान्त इसे Preview देख लें। डाटा ठीक से भरने के लिये Edit Opction उपलब्ध है। फार्म Submit करने के पश्चात एक रजिस्ट्रेशन संख्या आंवन्टित की जायेगी। भरे हुये आवेदन का प्रिन्ट आउट निकालकर मुख्य कारखाना प्रबंधक (कार्मिक) उ0म0रेल झॉसी उ0प्र. पिन कोड 284003 को रू. 100/– का बैंक ड्राफट कारखाना लेखाधिकारी, उ.म.रेल झॉसी के पक्ष में झॉसी में देय आवेदन शुल्क के रूप में संलग्न कर साधारण/ पंजीकृत डाक /स्पीड पोस्ट से भेजें एवं एक प्रति अपने रिकार्ड के लिए रखें। आवेदक बैंक डाफट के पीछे वायी ओर अपना नाम पिता का नाम तथा आवेदन पंजीकरण संख्या अवश्य लिखें ताकि उसे आवेदन के साथ लिंक करने में सुविधा हो सके।

(2) हार्ड कापी के साथ बैंक डाफट (मूल रुप) के अतिरिक्त अन्य कोई भी संलग्नक जैसे शैक्षणिक/ तकनीकी योग्यता, जाति प्रमाण पत्र या कोई अन्य प्रमाण पत्र न लगायें।

नोटः– इस प्रकार की कार्यवाही केवल फीस जमा करने हेतु अपनाई जा रही है, प्रत्येक अभ्यर्थी को अपना आवेदन ऑनलाईन भरना अनिवार्य है।

आवश्यक दस्तावेज –

1 स्वंय का ईमेल जो वैध हो।
2 फोटो, हस्ताक्षर एवं अगूठा का निशान दिये गये फोर्मेट पूर्ण कर स्कैन करें, परन्तु इस JPEG ईमेज का साइज 200KB से अधिक न हो।
3 आवेदक का नाम और पिता के नाम के अंग्रेजी में वह Spellings, जो कि उसके हाई स्कूल के प्रमाण पत्र में अंकित हो।
4 आवेदक के क्षेत्र के डाकघर का पिन कोड।
5 मोबाइल नं0
6 यदि रोजगाार कार्यालय में रजिस्ट्रेशन कर रखा हो तो उसका विवरण।
7 अंगूठा का निशान के लिये प्रिंटर स्याही (काली) का इस्तेमाल करे।
8 दो व्यक्तिगत पहचान चिन्ह।
9 10वीं एवं आई.टी.आई की अंक सूची तथा एस.सी./एस.टी/ओबीसी प्रमाण पत्र को स्कैन करें।
10 आवेदक अपने पहचान पत्र के रूप में आधार कार्ड/वोटर कार्ड/पैन कार्ड/ड्राइविंग लाइसेंस में से किसी एक की प्रति स्कैन करें।

6.1 आवेदन करने से पहले उम्मीदवार को आश्वस्त होना होगा कि वे वॉछित योग्यता तथा अन्य अर्हता पूर्ण कर रहे है। अपेक्षित योग्यता पूर्ण न करने पर प्रशासन भर्ती के किसी भी स्तर पर आवेदन को रद्द करने का अधिकार रखता है, तथा यदि भर्ती हो भी जाती है तो ऐसे उम्मीदवार की अभ्यर्थिता बिना किसी सूचना के रद्द कर दी जायेगी।

6.2 ऑन लाईन आवेदन पत्र में भरा गया कोई भी विवरण/सूचना के दौरान प्रमाण पत्र से मिलान में अगर गलत/फर्जी पाया जाता है तो बिना नोटिस दिये उम्मीदवारी को निरस्त कर दिया जायेगा।

(7) <u>ऐसे उम्मीवार जिन्होने आई.टी.आई को एन.सी.वी.टी से उत्तीर्ण नही किया है वे आवेदन करने के पात्र नही होगे तथा ऐसे किसी भी आवेदन के सम्बन्ध में किसी व्यक्ति या संगठन द्वारा किया गए कोई भी पत्राचार विचारणीय नही होगा</u>

(08) <u>चयन प्रकिया –</u> प्रधान कार्यालय उ.म.रे. इलाहाबाद के पत्रॉक :– 797 ई/प्रशिक्षण/एक्ट अपैं. 1961/उ.म.रे. /2013 भाग–11 दिनांक 23.11.15 निर्देशानुसार, निम्नानुसार होगी –

(i) प्रशिक्षण हेतु एक्ट अप्रेन्टिसों का चयन सभी उम्मीदवारों जिन्होंने अधिसूचना के संदर्भ में आवेदन किया है, के लिए तैयार की गई मेरिट के आधार पर होगा। इसमें कोई लिखित परीक्षा अथवा साक्षात्कार/मौखिक परीक्षा का आयोजन नहीं किया जाऐगा।

(ii) प्रशिक्षण हेतु चयन की मेरिट लिस्ट अभ्यर्थी द्वारा किसी मान्यता प्राप्त शिक्षा बोर्ड /संस्थान से उत्तीर्ण 10वी परीक्षा अथवा उसके समकक्ष किसी परीक्षा में प्राप्त किए गये सम्पूर्ण अंकों का औसत और आई टी आई में प्राप्त अकों के औसत का वेटेज लेते हुये प्रतिशत के आधार पर बनाई जाएगी।

(iii) प्रतिशत अंको का आधार शिक्षा बोर्ड/संस्थान द्वारा घोषित कुल अंको का प्रतिशत रहेगा न कि किसी एक विषय या विषयों के समूह में प्राप्त अंकों का प्रतिशत।

(iv) एक से अधिक उम्मीदवारों के 10वी परीक्षा और आई टी आई में प्राप्त अकों का औसत अथवा उसके समकक्ष किसी परीक्षा में बराबर अंक/प्रतिशत आने की स्थिति में अधिक उम्र वाले उम्मीदवार जिसकी जन्म तिथि पहले हो,वरीयता सूची में कम आयु वाले के उपर रहेगा, बाद की जन्म तिथि वाला नीचे रहेगा। उक्त जानकारी (ऑकडे) कम्प्यूटरीकृत होंगे और इसी प्रकार मेरिट लिस्ट बनाई जायेगी।

(v) सयुक्त मेरिट के आधार पर तैयार अंतिम चयन सूची (संयुक्त लिस्ट) में से ट्रेड/समुदाय/कोटि (आरक्षण कोटि) के अनुसार चयन सूची बनाई जायगी।

(vi) एक्ट अप्रेन्टिस स्लाट की निर्धारित संख्या के 1.5 गुणा के बरावर उम्मीदवारो को उनके मूल दस्तावेजों के सत्यापन एवं चिकित्सा परीक्षा के लिए बुलावा भेजा जायगा। अंतिम पात्रता सूची उम्मीदवारों द्वारा मैट्रीकुलेशन (10+2 परीक्षा प्रणाली में मैट्रीकुलेट या 10वी कक्षा और आईटीआई) मे प्राप्ताकों का औसत के आधार पर घटते कम में एक्ट अप्रेन्टिस स्लाट की निर्धारित संख्या के बरावर तैयार की जाएगी।

(vii) रेलवे के चिकित्सा अधिकारी द्वारा सफल चिकित्सा परीक्षा के उपरान्त जारी मेडीकल स्वास्थ्य प्रमाण पत्र दिये जाने की वाद ही उम्मीदवार को प्रशिक्षण के योग्य माना जायेगा। यदि वह शारीरिक दृष्टि से निर्धारित चिकित्सा परीक्षा में अनुत्तीर्ण होता है तो उसकी शिक्षुता/प्रशिक्षण समाप्त समझा जायेगा एवं उसका प्रशिक्षण हेतु कोई दाबा मान्य नहीं होगा।

(viii) सत्यापन के लिए आने वाले उम्मीदवारो को दैनिक भत्ता या ट्रेवलिंग भत्ता नही दिया जायेगा।

(ix) चयनित प्रशिक्षुओं को होस्टल / आवास प्रदान नही किया जायेगा तथा अप्रेन्टिस एक्ट, 1961 के अनुसार प्रशिक्षण के दौरान चयनित उम्मीदवारों को अपने आवास की व्यवस्था स्वयं करनी होगी।

(09.1) चयनित उम्मीदवारों की सूची उ.म.रेल की वेवसाइट www.ncr.indian railway.gov.in में अपलोड की जायेगी तथा पात्र सूची में शामिल उम्मीदवारों को post द्वारा सूचित किया जायेगा। अन्य उम्मीदवारों से इस संबंध में कोई पत्राचार नही किया जायेगा।

(09.2) यह स्पष्ट किया जाता है कि प्रशिक्षण के उपरान्त भारतीय रेल द्वारा अप्रेन्टिसों को नौकरी देने की कोई बाध्यता नही होगी। अप्रेन्टिसशिप नियम 1992 (15/07/1992 को अधिसूचित) के शेडयूल V (ii) के पैरा 10 के अनुसार प्रशिक्षित एक्ट अप्रेन्टिसों को सरकार द्वारा नौकरी देने की कोई जिम्मेदारी नही है। उम्मीदवार इस प्रावधान को भलीभॉति नोट कर लें। (प्रधिकारः—रेलवे बोर्ड का पत्र संख्या E(MPP)/2009/6/14 दि. 06.10.15)

(09.3) जिन्होंने पूर्व में किसी भी संस्थान से अप्रेन्टिस एक्ट, 1961 के तहत प्रशिक्षण प्राप्त किया है वे आवेदन करने के पात्र नही है।

(10) <u>ट्रेनिंग का करार</u> – अप्रेन्टिस प्रशिक्षण शुरु होने के पहले चयनित उम्मीदवार को या यदि अभी वह नाबालिग है तो उसके अभिभावक को एमप्लायर के साथ अप्रेन्टिसशिप करार करना होगा।

(11) प्रशिक्षण की अवधि समाप्त होने पर शिक्षुता करार समाप्त हो जायेगा। शिक्षुओं को अपना प्रशिक्षण समाप्त होने पर उन्हें महानिदेशक/डायरेक्टर जनरल रोजगार प्रक्षिशण श्रम व रोजगार मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा आयोजित अखिल भारतीय स्तर पर दस्तकारी परीक्षा देनी होगी। सफल उम्मीदवार को राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा परन्तु प्रशिक्षण के बाद नियुक्ति की कोई गारंटी नही होगी।

(12) उम्मीदवारों के चयन तथा उनके प्रशिक्षण के संबंध में प्रशासन का निर्णय अंतिम होगा। यदि पाया गया कि चयनित उम्मीदवार ने अपनी विश्वसनीयता के सापेक्ष में गलत/झूठी सूचनाएं दी है तो उसे किसी भी स्तर पर बिना सूचना दिये निकाल दिया जायेगा।

उम्मीदवार अपने आवेदन हेतु नीचे अंकित तिथियों के दौरान ऑनलाइन के माध्यम से आवेदन कर सकते है

आवेदन की समय सीमा

ऑन लाइन आवेदन के खुलने की तिथि – 15.02.2017

ऑन लाइन आवेदन की अन्तिम तिथि – 17.03.2017

उम्मीदवार ऑनलाइन माध्यम से आवेदन करने की प्रकिया के दौरान सही जानकारी देने के लिये स्वंय जिम्मेदार होगा । आवेदन के दौरान उम्मीदवार की और से कोई त्रुटि हुई हो, तो वैगन मरम्मत कारखाना झॉसी प्रशासन की कोई जिम्मेदारी नही होगी।

नोट – उम्मीदवार अपने ऑन लाइन भरे आवेदन का प्रिंट अवश्य अपने पास सम्भाल कर रखें, ताकि दस्तावेज सत्यापन हेतु इस कार्यालय द्वारा बुलाये जाने पर इसे प्रमाण के तौर पर देखा जा सकें। बुलाये जाने पर प्रिंट आउट के साथ ही फीस की रसीद व शैक्षणिक योग्यता /तकनीकि प्रमाण पत्र, फोटो एवं आई कार्ड (आधार कार्ड) की मुल प्रति एवं सभी प्रमाण पत्रों को राजपत्रित अधिकारी द्वारा सत्यापित प्रति लेकर उपस्थित होगें। प्रिंट आउट/मूल शैक्षणिक प्रमाण पत्रों के बिना किसी भी उम्मीदवार को दस्तावेज सत्यापन प्रकिया में सम्मिलित नही किया जायेगा। यदि चयन के दौरान यथोक्त भर्ती प्रकिया में नीतिगत परिवर्तन होते है तो तदानुसार चयन का मापदण्ड अपनाया जायेगा।

21.1.17

(जी0आर0 अहिरवार)

वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी

कृते मुख्य कारखाना प्रबंधक,झॉसी

प्रतिलिपिः–

–मुख्य यॉत्रिक इंजी/मुख्य कार्मिक अधिकारी/वरि0उप महाप्रबंधक–उ0म0रे0 इलाहाबाद को सूचनार्थ।

–मुख्य जनसंम्पर्क अधिकारी उ0म0रे0 इलाहाबाद–कृपया उपरोक्त नोटिफिकेशन रोजगार समाचार एवं अन्य समाचार पत्रों में प्रकाशित करवाने की व्यवस्था करें। उपरोक्त अधिसूचना उ0म0रेल इलाहाबाद की साईट www.ncr.indianrailway.gov.in पर भी अपलोड कर दी गई है।

–मुख्य कारखाना प्रबंधक,वैगन मरम्मत कारखाना झॉसी।

–मुख्य कारखाना प्रबंधक, रेल स्प्रिंग कारखाना,सिथौली

–उप मुख्य यॉत्रिक इंजी–आर/ उप मुख्य यॉत्रिक इंजी–निरीक्षण/ उप मुख्य यॉत्रिक इंजी–एमएण्डपी/

–उप मुख्य विद्युत इंजी/उप मुख्य इंजी–कारखाना झॉसी।

–प्राचार्य–सुपरवाईजर्स प्रशिक्षण केन्द्र झॉसी।

–सभी वरि0अनु0इंजीः–कारखाना झॉसी। वरि अनुदेशक–बी0टी0सी कारखाना झॉसी।

–सचिवः–एन.सी.आर.ई.एस/एन.सी.आर.एम.यू/ओ.बी.सी/एस.सी.एस.टी एसों. कारखाना झॉसी

–सभी नोटिस बोर्ड कारखाना झॉसी।

–जिला सेवायोजन अधिकारी झॉसी।

–अधीक्षकः–शारीरिक विकलॉगों के लिये वोकेशनल एवं रीहैवीलिटेशन सेन्टर ए.टी.आई परिसर, गोविन्द नगर कानपुर उ0प्र0।

–निदेशकः–आर.डी.ए.टी कानपुर–208022

–जिला सैनिक बोर्ड कल्याण बोर्ड झॉसी।